SPEED POST

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 एएस/1/2011/एसटीजीजेएच/एसईसीसी/आर.यू.–3

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6[th] Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 10-12-2013

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला–बोकारो,
झारखण्ड

विषय: **श्री रमित सतेन्द पुत्र श्री सतेन्द सिंह, बूटी रोड, रांची द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में श्री अशोक सिन्हा, बक्सी कम्पाउंड, बरियातु, रांची से प्राप्त शिकायत बाबत्।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें प्रकरण से संबंधित विस्तृत उल्लेख करते हुए बिन्दुवार आपको लिखकर 30 दिनों के अन्दर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया पर इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग की ओर से अनुस्मरण पत्र दिनांक 21.10.2013, 01.11.2013 तथा 14.11.2013 को भेजा गया। परन्तु प्रकरण में आपके यहां से की गयी कार्रवाई की जानकारी/रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरू लाल मीना ने इस प्रकरण पर चर्चा के लिए **दिनांक 08.01.2014 को 12:00 बजे** आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर चर्चा के लिए बैठक निश्चित की है।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों सहित की गयी कार्यवाही की जानकारी लेकर उक्त तिथि को आयोग के माननीय सदस्य के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

8581–84
12/12/13

भवदीय

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपिः

1. उपायुक्त, जिला–सिंहभूम, झारखण्ड को सूचनार्थ।
2. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय 14, न्यू ए.जी. को ऑपरेटिव कालोनी, कदारू, राँची (झारखण्ड) को आवश्यक एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
3. श्री अषोक सिन्हा, बक्सी कम्पाउंड, बरियातु, रांची को कृपया उक्त तिथि पर आयोग में उपस्थित होने के लिए।

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक

OC